जून, 2019

आपदा संवाद

चक्रवात फोनी

Cyclone

डॉ. पी. के. मिश्रा को शासाकावा पुरस्कार प्राप्त हुआ

16 मई, 2019 को संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनडीआरआर) ने डॉ. पी.के. मिश्रा, भारत के प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव, को जेनेवा, स्विट्जरलैंड (13–17 मई, 2019) ने वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच (डीपीडीआरआर) 2019 के 6वें सत्र के दौरान एक पुरस्कार समारोह में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए शासाकावा पुरस्कार 2019 में प्रदान किया।

डॉ. मिश्रा को आपदाओं के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित समुदायों की समुत्थानशीलता को बेहतर बनाने के लिए उनकी दीर्धावधिक प्रतिबद्धता और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से हाशिये पर चल रहे समुदायों के सुरक्षा जाल को बढ़ाकर असमानता तथा गरीबी को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में सामाजिक समावेश कार्य के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए उनके कार्य को मान्यता देते हुएयह पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

डॉ. मिश्रा ने कहा "क्योंकि संसार में आपदा जोखिम के भूगोल में बदलाव आ रहा है और लोगों के नए–नए वर्ग आपदा के जोखिम से प्रभावित हो रहे हैं; इसलिए विकास के लाभ खतरे में हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि नई हकीकतों से निपटने के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों को अगली पीढ़ी के बारे में सामूहिक रूप से विचार करने की जरूरत है।

संयुक्त राष्ट्र शासाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी स्थापना 30 वर्ष पूर्व की गई थी और संयुक्त रूप से निपन फाउन्डेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। 2019 शासाकावा का विषय (थीम) "सामावेशी तथा समुत्थानशील समाजों का निर्माण करना" था। यूएनडीआरआर को 2019 पुरस्कार के किए 21 देशों से 61 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे।

भारत को जीएफडीआरआर 2020 के परामर्शी समूह की सह–अध्यक्षता मिली

भारत पहली बार राजकोषीय वर्ष 2020 के लिए वैश्विक आपदा न्यूनीकरण तथा पुनर्बहाली सुविधा (जीएफडीआरआर) के परामर्शी समूह (सीजी) की सह–अध्यक्षता करेगा। यह निर्णय वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच (जीपीडीआरआर) 2019 के 6वें सत्र के मार्जिनों पर जेनेवा, स्विट्जरलैंडमें में आयोजित जीएफडीआरआर की सीजी बैठक के दौरान लिया गया। जीएफडीआरआर एक वैश्विक भागीदारी है जो विकासशील देशों को प्राकृतिक खतरों तथा जलवायु परिवर्तन से अपनी असुरक्षितता को बेहतर रूप में समझने और उसे कम करने में मदद करती है। भारत की उम्मीदवारी को देश के आपदा न्यूनीकरण (डीआरआर) के क्षेत्र में इसकी लगातार प्रगति और आपदा समुत्थानशील आधार–ढांचा पर एक गठबंधन तैयार करने की इसकी पहल द्वारा मजबूती/समर्थन मिला। यह देश को सदस्य देशों तथा जीएफडीआरआर के संगठनों के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण अजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में केंद्रित योगदान के साथ–साथ करने का एक मौका उपलब्ध कराएगा।

राहत आयुक्त वार्षिक सम्मेलन

मई 21–22, 2019 को नई दिल्ली में दक्षिण पश्चिम मानसून 2019 की तैयारी की स्थिति की समीक्षा के लिए राहत आयुक्तों/सचिवों के एक दो–दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव गौबा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि केंद्रीय बलों को जुटाने के अलावा, राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) के तहत सभी संभावित सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने राज्यों को क्षमता निर्माण शुरू करने का कहा है, क्योंकि आपदा के दौरान वे ही प्रथम मोचक होते हैं।
श्री गौबा ने राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, (क्रॉप इंश्योरेंस) के तहत उनकी कवरेज को बढ़ाने के लिए जोर दिया गया।

इन्होंने आगे कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की अतिरिक्त बटालियनों के लिए मंजूरी दे दी है तथा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में नई बटालियनों की स्थापना की जा रही है। सम्मेलन में राज्य सरकारों के और संघ राज्य क्षेत्रों राहत आयुक्तों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
पूर्व में, एनडीएमए ने भी 18 मार्च, 2019 को विभिन्न हितधारकों के साथ पूर्व–मानसून तैयारी की समीक्षा के लिए एक बैठक का आयोजन किया था।

एनडीएमए ने आंधी–तूफान पर दिशानिर्देश जारी किए

एनडीएमए ने मार्च, 2019 को आंधी–तूफान एवं बिजली/हवा के थपेड़ों/धूल भरी आंधी/ओला–वृष्टि और तीव्र हवाओं पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य असुरक्षित राज्यों को पूर्व चेतावनी, तैयारी, प्रशमन के लिए उनकी कार्य योजनाओं की तैयारी के साथ–साथ जान और माल की हानि को कम करने के लिए समन्वित कार्य नीतियां उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना है।

धूल भरी आंधी और उससे संबंधित घटनाएं हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करते हुए मुख्य मौसमी खतरे के रूप में उभर रही हैं। भारत में, प्रतिवर्ष आंधी–तूफान और बिजली से 2500 से अधिक लोगों की जौत हुई है।

मई, 2018 के दौरान, भयंकर धूल भरी आंधी, आंधी–तूफान और बिजली गिरने से भारत के अनेक हिस्सों पर प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में हताहत हुए/जानें गई और गंभीर आर्थिक हानियां हुईं। इन घटनाओं के साथ–साथ पूर्व के अनुभवों से यह एहसास किया गया कि इन घटनाओं से वैज्ञानिक तथा योजनाबद्ध तरीके से निपटने के लिए राज्यों की क्षमता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को तैयार करने की परम आवश्यकता।
एनडीएमए ने अप्रैल, 2019 को सबसे अधिक प्रभावित राज्यों और आंधी–तूफानों और बिजली गिरने की घटनाओं के प्रति अति संवेदनशील राज्यों के साथ इन प्रचंड मौसमी घटनाओं की समय से काफी पहले की तैयारी के निरीक्षण के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक का आयोजन भी किया था।

लू का प्रबंधन–2019

हाल के वर्षों में लू दुनिया भर में एक मुख्य गंभीर मौसमी घटनाओं के रूप में उभरी है। जलवायु परिवर्तन तापमान को बढ़ाने के साथ–साथ लू की आवृति और घातकता को बढ़ा रहे हैं।
एनडीएमए संवेदनशील राज्यों के साथ लू के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूर्ण तालमेल सहित कार्य कर रहा है। लू 2019 की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए, एनडीएमए ने फरवरी में नागपुर, महाराष्ट्र में लू पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसको आगे बढ़ाते हुए, प्राधिकरण ने 25 मार्च, 2019 को लू प्रबंधन पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की। इसके अतिरिक्त, 27 मार्च, 2019 को लू पर विशेषज्ञ समिति बनाने पर भी एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें कार्यशाला के परिणाम के साथ–साथ दीर्घावधिक प्रशमन उपायों पर चर्चा की गई।
एनडीएमए लू जोखिम के प्रशमन हेतु नवीनतम अनुसंधान एवं विकास को शामिल करने के लिए लू पर दिशानिर्देशों का संशोधन करने पर भी कार्य कर रहा है।

भूस्खलन जोखिम प्रशमन पर बैठकें

एनडीएमए ने भूस्खलन प्रशमन, उनके संबंधित राज्यों में भूस्खलन प्रशमन उपायों को क्रियान्वित लागू करने पर एक पांच–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) से 23 भागीदारों ने हिस्सा लिया।

एनडीएमए ने 28 मई को नई दिल्ली में क्षेत्रीय स्तर की भूस्खलन पूर्व चेतावनी के सृजन, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों के सैटेलाइट आधारित मॉनीटरिंग, राष्ट्रीय भूस्खलन अनुसंधान अध्ययन और प्रबंधन केंद्र (सीएलआरएमएम) की स्थिति तक परियोजनाओं और भूस्खलन जोखिम कम करने और प्रबंधन से संबंधित अन्य कार्यों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए खान मंत्रालय (एमओएम) और अन्य हितधारकों की तृतीय संयुक्त बैठक का भी आयोजन किया।

आपदा सखियों का प्रशिक्षण

एनडीएमए के आपदा मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 8–8 मार्च, 2019 तक कोल्हापुर, महाराष्ट्र में 50 'आपदा साखी' (महिला आपदा स्वयं सेविकाएं) के लिए एक 15–दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था।

आपदा मित्र देश भर के 25 राज्यों में 30 सबसे अधिक बाढ़ प्रवण जिलों (200 स्वंय सेवक प्रति जिला) में आपदा मोचन में 6,000 सामुदायिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिलाने का लक्ष्य रखता है।

सीबीआरएन आपातकालीन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनडीएमए ने कोच्चि के कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में 11–15 मार्च, 2019 तक एक पांच–दिवसीय बुनियादी सीबीआरएन प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम ने बंदरगाहों में सीबीआरएन आपातस्थितियों के लिए मोचन–कार्य करने के लिए बंदरगाह आपातकालीन हैंडलर्स (एसईएच) की तैयारी के संवर्धन में सहायता दी। यह ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला में दूसरा है देश भर के विभिन्न बंदरगाहों में आयोति किया जाएगा जिससे एसईएच को विशिष्ट मोचन टीम के पहुंचने तक उपयुक्त रूप से मोचन करने में सक्षम बनाने हेतु है।

सीबीआरएन आपातस्थितियों रासायनिक जैविक, विकिरणकीय तथा नाभिकीय सामग्री के उपयोग से उत्पन्न खतरों से संबंध रखती है।

भारतीय बंदरगाह संघ (आईपीए), परमाणु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (आईएनएमएएस) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण का उद्देश्य हमारे बंदरगाहों में सीबीआरएन सुरक्षा को बेहतर बनाना कार्यक्रम में शामिल है। व्याख्यान के साथ–साथ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उपयोग संहित जांच और विसंदूषण के प्रदर्शन सहित फील्ड प्रशिक्षण। सीबीआरएन आपातस्थितियों को संभालने के लिए एसईएच को सुसज्जित करने के अलावा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम ने भागीदारों को चिकित्सा प्राथमिक सहायता और प्रारंभिक मनो–सामाजिक सहायता उपलब्ध करने में समर्थ बनाया।

बंदरगाह के संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी विभिन्न एजेंसियों के लगभग 50 प्रतिभागी प्रतिनिधियों को सीबीआरएन आपातकालीन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिलाया गया। 150 कार्यकारी स्तर के अन्य स्टाफ को इस विषय पर एक आधा–दिन के मॉड्यूल में सुग्राहीकृत किया गया।

एआरआईएसई (अराइज)–इंडिया का उद्घाटन

एआरआईएसई (अराइज)–इंडिया का उद्घाटन 18 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में किया गया। एआरआईएसई (अराइज) आपदा समुत्थानशील समुदाय के लिए निजी क्षेत्र का गठबंधन (अलायंस) है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए यूएन कार्यालय द्वारा सहायता प्रदान करता

है। उद्घाटन के दौरान ले जनरल एन.सी. मरवाह (सेवानिवृत्त) सदस्य, एनडीएमए ने कहा कि एआरआईएसई कार्यक्रम में न केवल भारत के विकास क्षेत्रों को बल्कि एसएएआरसी (सार्क) देशों को भी शामिल किया जाएगा।

चक्रवात फोनी

यथाशीघ्र 21 अप्रैल तक, आईएमडी द्वारा भूमध्यरेखीय हिंद महासागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी में कम दवाब के क्षेत्र की एक संभावना का अनुमान किया गया। इसने स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी और 25 अप्रैल तक, नवीनतम पूर्वानुमान के साथ तीन घंटे के विशेष बुलेटिन को जारी करना शुरू कर दिया। मछुआरों को सलाह दी गई थी कि वे इन इलाकों में न जाएं। अवसाद 27 अप्रैल को चक्रवात फोनी में बदलकर घना हो गया, 29 अप्रैल तक तीव्र चक्रवातीय तूफान में बदल गया और 30 अप्रैल को भयंकर चक्रवात में। जैसा कि यह भूमध्यरेखा के साथ विकसित हुआ और 3 मई को ओडिशा पर अपनी सारी ताकत के साथ प्रहार करने से पहले यह कई दिन समुद्र के ऊपर अपनी शक्ति एवं नमी को इकट्ठा रहता रहा।

इसने बड़ी तबाही की जिसका नतीजा उखड़े हुए पेड़, गिरी हुई बिजली की लाइनें, क्षतिग्रस्त अवसंरचना, उखड़ी हुई बिजली की तार, अवरूद्ध सड़कें, बिखरे हुए मलबे, बिखरे संचार नेटवर्क और रद्द उड़ानें और ट्रेनें था। राज्य में कुल 14 जिलों में एक करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। गर्मी की फसलें, बगीचे और उद्यान और बागान फसलें उजड़ गईं।

फोनी के एक शक्तिशाली चक्रवात होने के बावजूद, इसमें केवल 38 लोगों की ही जानें गईं। 1999 में ओडिशा में इस तरह के एक चक्रवात ने 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया था। इस बार, यह अंतर पूर्वानुमान में सुधार, समुदायों में जागरूकता तथा राज्य प्रशासन को सचेत करने के कारण हुआ। जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि चक्रवात ओडिशा में दस्तक देगा, 15 लाख से अधिक लोगों को असुरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकाला गया और चक्रवात आश्रय–केंद्रों पर पहुंचाया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) टीमों को तैनात करके अतिरिक्त व्यवस्था (स्टैंडबाय) के रूप में रखा गया था। भारतीय तट रक्षक और नौसेना ने राहत एवं बचाव कार्य के लिए जहाज और हेलिकॉप्टर तैनात किए गए। सेना और वायु सेना की इकाइयों को भी स्टैंडबाई रखा गया।

रेडियो तथा टी.वी. के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर घोषणा देने के अलावा, लोगों की सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए बड़ी मात्रा में जागरूकता अभियान चलाए गए। जिस समय से आईएमडी ने कम दवाब के बारे में बताया तब से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चक्रवात पर जानकारी देना शुरू कर दिया गया। एनडीएमए द्वारा जन साधारण के लिए चक्रवात से पूर्व के दौरान तथा बाद में क्या करें और क्या न करें की हिदायतों को विस्तृत रूप से प्रकाशित भी किया गया।

केंद्र के एक सक्रिय सरकारी तंत्र ने सभी संभावित समर्थन एवं सहायता प्रदान की। फोनी के आने वाले खतरों का सामना करने की तैयारी उपायों के लिए 29 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडलीय सचिव, श्री पी. के. सिन्हा ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनडीएमए तथा संबंधित मंत्रालयों एजेंसियों से वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा

और पश्चिम बंगाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। सभी हितधारकों को तैयारी एवं मोचन उपायों को चाक–चौबंद रखने हेतु निर्देशित किया गया। वास्तव में यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य की तैयारी पूरी है और आवश्यक कार्य जल्द से जल्द शुरू हो, एनसीएमसी ने कुछ समय के लिए दैनिक आधार पर बैठक करना जारी रखा।

प्रारंभिक चरण के दौरान प्रभावी कार्यनीतियां अपनाने के कारण ओडिशा ने बहु एजेंसियों द्वारा एकीकृत कार्रवाई तथा बचाव टीमों, राहत सामग्री एवं उपकरण के तीव्र रूप से जुटाने के काम को सुनिश्चित किया। कार्य पूर्ण गति पर है। सौ स्वास्थ्य सुविधा–केंद्र पुनः स्थापित किए गए, मोबाइल चिकित्सा टीमें तैनात की गई और 100 प्रतिशत बिजली आपूर्ति की पुनर्बहाली के प्रचार किए जा रहे हैं। सड़कों की सफाई के लिए एनडीआरएफ से टीमें, राज्य आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को तैनात करा गया।

चक्रवात प्रबंधन के प्रति भारत की 'शून्य हताहत' (जीरो कैजुएल्टी) नीति में दूर–दूर तक प्रशंसा अर्जित कर ली है। यूएनआईएसडीआर के मामी मिजुतोरी ने अपनी ट्वीट में भारत की प्रचंड मौसमी घटनाओं के प्रबंधन के दृष्टिकोण का सेंडाई–कार्यसूची के कार्यान्वयन में प्रमुख योजनदान रहा। वैश्विक मीडिया ने भी फोनी चक्रवात के तेज और कुशल प्रबंधन की सराहना की है।

चक्रवात क्या है ?

चक्रवात एक प्रचंड मौसमी घटना है जो जल निकायों पर एक कम दवाब क्षेत्र के आस–पास गड़बड़ी/विक्षोभ रहने के कारण होती है। इस कम दवाब के क्षेत्र के केंद्र के आस–पास हवाएं एक सर्प की तरह कुंडली में घूमती है और गति प्राप्त करती है। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है। जब यह उष्णकटिबंधीय जल–क्षेत्र में विकसित होती है, तो इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उस प्रकार जब यह अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय जल–क्षेत्र पर बनती है, तो इसे अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो अटलांटिक महासागर पर बनता है, उसे हरिकेन कहते हैं, जो भारत महासागर के ऊपर बनता है, उसे चक्रवात और जो प्रशांत महासागर पर बनता है उसे टाइफून कहते हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात की औसत जीवन अवधि लगभग 5–6 दिन होती है। तथापि, लगभग 5–6 दिनों की जीवन–अवधि के साथ उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर अपेक्षाकृत कम अवधि के होते हैं।

उत्तर भारत महासागर में दो चक्रवातीय मौसम हैं–पूर्व मानसून मौसम (अप्रैल–जून) और मानसूनोत्तर मौसम (अक्तूबर–दिसंबर)। मई–जून और अक्तूबर–नवंबर के महीनों को गंभीर तीव्रता के चक्रवात उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो मानसून के महीनों (जुलाई से सितंबर तक) के दौरान उत्पन्न होते हैं, आम तौर पर तीव्र गति के नहीं होते हैं।

भारत का पूर्वी–तट पश्चिमी–तट से अधिक संवेदनशील है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश सब से अधिक संवेदनशील, उसके बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तथा पुडुचेरी है। पश्चिमी–तट पर गुजरात सबसे अधिक संवेदनशील है।

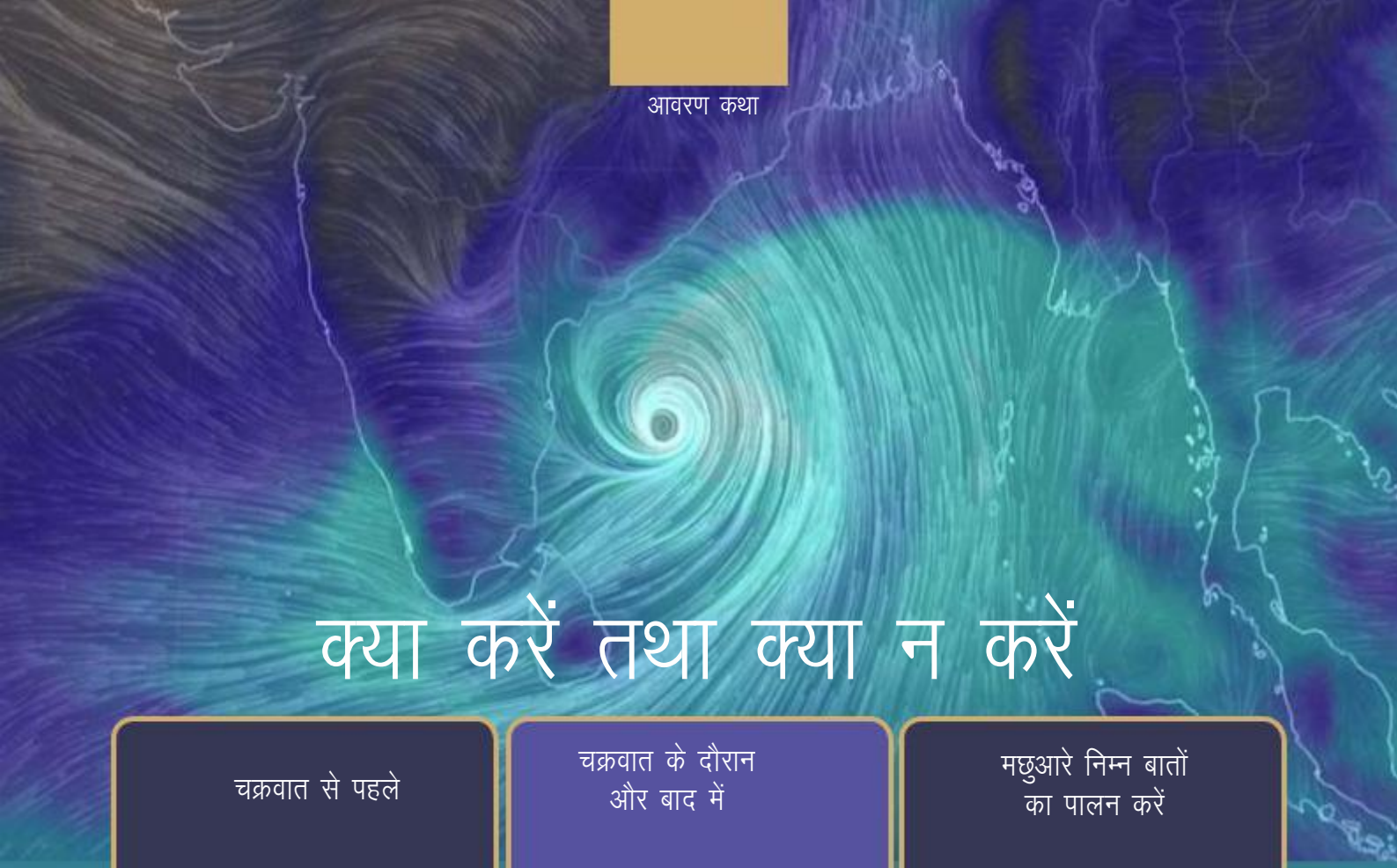

क्या करें तथा क्या न करें

चक्रवात से पहले

- अफवाहों पर ध्यान न दें, शांत रहें, घबराएं नहीं
- आपना मोबाइल फोन आपातस्थिति में संचार के लिए चार्ज करके रखिए, एसएमएस का प्रयोग करें
- मौसम के अपडेट के लिए रेडियो सुनें, टी. वी. देखें, अखबार पढ़ें
- अपने दस्तावेज और महत्वपूर्ण चीजें वाटर–प्रूफ कंटेनरों में रखें
- सुरक्षा और जीवित रहने हेतु आवश्यक चीजों के लिए एक आपातकालीन किट तैयार करें
- अपने घर को सुरखित रखें, मरम्मत करें, धारदार वस्तुओं को खुला न छोड़ें
- गाय/पशुओं को उनकी, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुला छोड़ें
- अपने क्षेत्र में सुरक्षित आश्रय–स्थल देखकर रखें, वहां तक पहुंचने का सबसे निकट मार्ग पता करके रखें
- पर्याप्त खाद्यान्न और पानी की मात्रा को जमा करके रखें
- अपने परिवार और समुदाय के लिए कृत्रिम कवायदों का संचालन करें

चक्रवात के दौरान और बाद में

क) यदि घर के अंदर हैं तो

- बिजली के मुख्य और गैस कनेकशन को बंद (स्विच ऑफ) रखें
- दरवाजों और खिड़कियों को बन्द रखें
- यदि आपका घर असुरक्षित है तो चक्रवात के आरंभ होने से पहले जल्द से जल्द उसे छोड़ें
- रेडियो सुनें, प्रामाणिक चेतावनियों पर ही विश्वास करें
- उबला/क्लोरीनयुक्त पानी ही पियें
- जब तक आधिकादिक से सलाह न दी जाए कि आप सुरक्षित है, तब तक बाहर न निकलें

ख) यदि घर से बाहर हैं तो

- खराब भवनों में न जाएं
- टूटे बिजली के खंभों और तारों तथा नुकीली वस्ताओं का ध्यान रखें
- जल्द से जल्द एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएं

मछुआरे निम्न बातों का पालन करें

- अफवाहों पर ध्यान न दें, शांत रहें, घबराएं नहीं
- अपना मोबाइल फोन आपातस्थिति में संचार के लिए चार्ज करके रखें, एसएमएस का प्रयोग करें
- रेडियो सेट को अतिरिक्त बैटरी के साथ रखें
- नवीनतम मौसम समाचार के लिए रेडियो सुनें, टी.वी. देखें, अखबार पढ़ें
- नाव/राफ्ट सुरक्षित जगह पर बांधकर रखें
- समुद्र में न जाएं

IWDRI 2019

में सीडीआरआई के सक्रिय होने के बारे में सूचना दी गई

वर्ष, 2030 तक पांच बिलियन लोग कस्बों और शहरों में रहने लगेंगे। इसका तात्पर्य विद्यमान अवसंरचना पर अतिरिक्त बोझ और नई अवसंरचना के लिए भारी मांग का होना है। जिस प्रकार हम इस अवसंरचना को संचालित, रखरखाव या बनाते हैं, जैसा भी मामला हो, या तो हमारे भावी पीढ़ी को खतरे में जाल देगा या उन्हें लचीला बना देगा।

नई दिल्ली में आपदा जोखिम कम करने पर 2016 एशियाई मंत्रालयीन सम्मेलन, सतत् विकास के लिए आपदा जोखिम समुत्थानशीलता अवसंरचना, पर एक विशेष रूप से प्रदर्शित (फीचर्ड) कार्यक्रम, में देशों के बीच अवसंरचना निर्माण की ओर मजबूत सहयोग और समन्वय की आवश्यकता की और प्रकाश डाला। इसके बाद, प्रधानमंत्री ने यह घोषित किया कि आपदा समुत्थानशील अवसंरचना के लिए एक वैश्विक गठबंधन (सीडीआरआई) जिसे ज्ञान विनियम और क्षमता विकास साझेदारी के रूप में परिकल्पित किया गया, को शुरू करने में, भारत साझेदारी देशों और मुख्य हितधारकों के साथ कार्य करेगा।

इस मामूहिक जिम्मेदारी की ओर आपदा जोखिम समुत्थानशील अवसंरचना पर प्रथम अंतराष्ट्रीय कार्यशाला के लिए जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में दुनिया भर से हितधारक एकत्रित हुए थे। उन्होंने प्रमुख समुत्थानशील अवसंरचना क्षेत्रों के निर्माण के लिए संभावित विचारों की खोज की। आईडब्ल्यूडीआरआई, 2018 ने वैश्विक सीडीआरआई को भी बल दिया तब से एक पहला कार्य भारत द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्लैटफॉर्म पर जोर देना रहा है।

संभावित सहयोगियों के संयोजन से सीडीआरआई की अवधारणा पर अतिरिक्त निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मार्च, 2019 को नई दिल्ली में आपदा समुत्थानशील अवसंरचना (आईडब्ल्यूडीआरआई) पर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में 33 देशों के 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आपदा समुत्थानशीलता पर विशेषज्ञ तथा शैक्षणिक संस्थान शामिल थे।

सहभागियों का स्वागत करते हुए श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए ने कहा कि सेंडाई फ्रेमवर्क अब केवल 15 वर्ष के फ्रेमवर्क नहीं रहे। अब तक चार साल गुजर चुके हैं। हमें अब उद्देश्य पर केंद्रित होकर, तात्कालिता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। यह इरादा एक करार के रूप में इसलिए सफल हुआ क्योंकि एक सीडीआर की स्थापना की गई थी, जो एक ऐसे मंच के रूप में काम करेगा, जहां आपदा के विभिन्न पहलुओं और अवसंरचना के जलवायु समुत्थान के ज्ञान का सृजन होता है और उनका आदान–प्रदान होता है।

सह–निर्माण गठबंधन की आधारशिला बना रहेगा और सदस्य देश अपने अवसंरचना को समुत्थानशीलता बनाने के लिए अन्य सदस्यों को/से ज्ञान और संसाधनों का उपयोग और प्रसार करेंगी और इन प्रकार, एक दूसरे को आर्थिक विकास और सतत् विकास में योगदान देंगी।

विषयगत क्षेत्र जिसके ईर्द–गिर्द सीडीआरआई के कार्य विकसित किए जाएंगे :

- ✓ जोखिम प्रशासन तथा नीति विकास
- ✓ जोखिम पहचान तथा अनुमान
- ✓ समुत्थानशीलता मानक तथा विनियम क्षमता के लिए सांस्थानिक तंत्र
- ✓ क्षमता विकास और ज्ञान विनियम के सांस्थानिक तंत्र
- ✓ आपदा और जलवायु समुत्थानशीलता के लिए प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन
- ✓ अवसंरचना पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण
- ✓ समुत्थान निर्माण और जलवायु के लिए वित्तपोषण
- ✓ आपदा और जलवायु समुत्थानशीलता के संवर्द्धन के लिए निर्माण सामाजिक और सामुदायिक क्षमता निर्माण

अधिक सूचना और परिणामी दस्तावेज के लिए कृपया वर्कशॉप वेबसाइट देखें ***https://resilientinfra.org/iwdri/***

किसने क्या कहा

सामूहिक कार्रवाईयां व्यक्तिगत देशों के प्रयोग से बेहतर है और हम निश्चित रूप से आपदा समुत्थानशील अवसंरचना पर गठबंधन के साथ बेहतर हुए हैं।

–एन.के. सिंह, **XV** वित्त आयोग, भारत

निकट भविष्य में भारत में 400 मिलियन से भी ज्यादा लोग शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हुए नजर आएंगे। ठोस विकास के लिए समुत्थानशीलता महत्वपूर्ण है।

गरीब और संवेदनशील लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुत्थानशील अवसंरचना निर्माण करना चाहिए।

–डॉ. पी.के. मिश्रा, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत

आपदा समुत्थानशीलता बहु–परतीय दृष्टिकोण की मांग करती है, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी सहित सभी को शामिल करने की आवश्यकता है।

–एच.ई. केंजि हिरामात्सु, जापान

समय की मांग यह है कि व्यापक रूप से समस्याओं के समाधान के लिए हमें पहलों के साथ आगे आना चाहिए। सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए केवल 11 वर्ष बाकी हैं।

–कमल किशोर, एनडीएमए, भारत

समुत्थान अवसंरचना पर वैश्विक गठबंधन नए जोखिम उत्पन्न करने और आर्थिक हानियों को बढ़ाने, विशेषकर कम आय वालों के लिए, से बचने के लिए महत्वपूर्ण है।

–मामि मिजुटोरी, यूएनआईएसडीआर

स्थानीय सरकारों को मजबूत करना तथा आपदा प्रबंधन को बेहतर करने के लिए समुदायों को शामिल करना महत्वपूर्ण है।

जुनैद कमल अहमद, विश्व बैंक

बाढ़ में क्या करें तथा क्या न करें

बाढ़ के पहले

- अफवाहों पर ध्यान न दें, शांत रहें, घबराएं बिल्कुल नहीं।
- आपातकालीन संपर्क के लिए अपने मोबाइल फोनों को चार्ज करके रखें, एसएमएस को उपयोग करें।
- मौसम के ताजा हाल तथा बाढ़ की चेतावनियों के लिए रेडियो सुनें, दूरदर्शन देखें, अखबार पढ़े।
- पशुओं को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बांधे नहीं, खुला छोड़ दें।
- सुरक्षा और उत्तरजीविता (सर्वाइवल) के लिए एक आपातकालीन थैला तैयार करके रखें।
- सांप के काटे तथा डायरिया के इलाज के लिए अतिरिक्त दवाओं सहित प्राथमिक सहायता थैला (फर्स्ट ऐड किट) तैयार रखें।
- अपने दस्तावेजों और कीमती चीजों को वाटर प्रूफ बैग में रखें।

बाढ़ के बाद

- बच्चों को बाढ़ के पानी में या उसके आस–पास खेलने के लिए जाने न दें।
- किसी भी क्षतिग्रस्त/खराब बिजली के उपकरण का उपयोग न करें, इसको इस्तेमाल करने से पहले किसी बिजली–मिस्त्री (इलैक्ट्रिशन) से जांच करा लें।
- टूटे हुए बिजली के खंभों, क्षतिग्रस्त पुलों, नुकीली वस्तुओं तथा मलबे का ध्यान रखें।
- बाढ़ के पानी में पड़े रहे खाने के सामान का सेवन न करें।
- मलेरिया रोकने के लिए मच्छरदानियों का उपयोग करें।
- यदि पानी की लाइनें अथवा सीवर पाइप टूटे हुए हों तो शौचालय अथवा नल के पानी का उपयोग न करें।

बाढ़ के दौरान

- बाढ़ वाले इलाकों में गाड़ी न चलाएं।
- बाढ़ के पानी में जाने से बचें, यदि उसमें जाना जरूरी हो तो उचित जूते आदि पहनें।
- सीवर लाइनों, गटरों, नालों, पुलिया आदि से दूर रहें।
- आसमानी बिजली से बचने के लिए विद्युत–खंभों तथा गिरी पड़ी/टूटी हुई बिजली की तारों से दूर रहें।
- ताजा पका हुआ भोजन अथवा शुष्क खाद्य सामग्री खायें। खाने को हमेशा ढक कर रखें।
- उबला हुआ/क्लोरीन–युक्त पानी पिएं।
- आस–पास के माहौल को कीटाणु–मुक्त रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर तथा चूने का उपयोग करें।

यदि आपको जगह खाली करनी पड़े तो

- फर्नीचर, बिजली के उपकरणों आदि को बिस्तरों तथा टेबलों पर रख दें।
- शौचालन–पात्र (टॉयलेट–बाउल) में रेत की बोरियां डाल दो और सीवर के पानी का उल्टा बहाव (सीवेज बैकफ्लो) रोकने के लिए नाली के सभी छेदों को ढक दो।
- घर को छोड़ने से पहले बिजली तथा गैस के कनेक्शन को बंद कर दें।
- गहरे पानी और अनजानी जगहों पर इकट्ठा हुए पानी में न जाएं।
- गहरे, अज्ञात पानी वाली जगह में न घुसें, पानी की गहराई को जांच करने के लिए छड़ी का उपयोग करें।
- घर तभी वापस लौटें जब अधिकारी आपको ऐसा करने को कहें।

BE SMART
BE PREPARED!

पता :

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

ए–1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली–110029.

दूरभाष संख्या :+91–11–26701700

नियंत्रण कक्ष : +91–11–26701728

हैल्पलाइन संख्या : 011–1078

फैक्स : +91–11–26701729

controlroom@ndma.gov.in aapdasamvaad@gmail.com /NDMA.in @ndmaindia